

आदेश

वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम चकनांगल तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 295, 296, 297, 299, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324 334/308 किता 20 कुल रकबा 6.90 है० एवं इसमें निर्मित चाह का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में एक माह में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15/11/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी